न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 40 / 2015 / जैसलमेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
राजस्थान सराकर जरिये	बनाम	1.सुरेश
श्रीमान तहसीलदार,		2.आनन्द
जैसलमेर।		3.विजया थानवी पिसरान अर्जुनदास व्यास जातियान ब्राहम्ण निवासीयान कोटड़ी पाड़ा जैसलमेर तहसील व जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर जैसलमेर के राजस्व वाद संख्या 17 / 2012 बअनवान सुरेष वगैरह बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.07.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हरिराम चौधरी राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री मुरलीधर जोशी रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः— **18.08.2021**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का वाद पेश किया। ग्राम जैरात के खसरा संख्या 21 का तुलनात्मक रजिस्टर में अंकित नहीं है जिसको वादी ने सावित नहीं किया हैं आंवटन आदेश का खसरा संख्या 21 व वर्तमान खसरा संख्या 18, 12, 18 / 236, 13 खसरा वंदोवस्त से साबित नहीं है व अस्थाई आंवटन 3 वर्ष के लिए वैध था 3 वर्ष पश्चात मौके की स्थिति अनुसार वादीगण को खसरा संख्या 12 में रकवा 38.10 वीघा दर्ज हुआ हैं उसके पश्चात वादीगण ने कोई उजर ऐतराज पेश नहीं किया। वादीगण का सन् 1971 के बाद नियमित काश्त गिरदावरी राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हैं एवं नियमित काश्त होने का रेकर्ड उक्त पत्रावली में रिकॉर्ड पर नहीं है। वाद पत्र में की गई कायमी तनकीयात को वादीगण साबित करने में रिकार्ड से असफल रहे हैं क्योकि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मौजा जैरात में खसरा संख्या 21 नया खसरा बनना व कब्जा करना वादी द्वारा साबित नहीं किया गया है। अप्रार्थी को पुराना खसरा संख्या 21 में वर्ष 1971 में भूमि का आवंटन किया गया था जबकि आंवटन के 50 वर्ष पश्चात कमी पेशी का दावा प्रस्तुत करना सरकारी भूमि को हड़पने का प्रयास मात्र हैं। निर्णय में वर्णित भूमि खसरा संख्या 18 जैसलमेर का ग्राम जैरात के पास बेशकीमती सरकारी भूमि हैं। वादीगण ने उक्त भूमि को हड़पने हेतु 04 वर्ष पूर्व धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज करवाया है इसके अलावा कोई सबूत प्रार्थी के पास नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 29.07.2015 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि ग्राम जैरात के खसरा संख्या 21 का तुलनात्मक रजिस्टर में अंकित नहीं है जिसको वादी ने साबित नहीं किया हैं आंवटन आदेष का खसरा संख्या 21 व वर्तमान खसरा संख्या 18, 12, 18/236, 13 खसरा बंदोबस्त से साबित नहीं है व अस्थाई आंवटन 3 वर्ष के लिए वैध था 3 वर्ष पश्चात मौके की स्थिति अनुसार वादीगण को खसरा संख्या 12 में रकबा 38.10 बीघा दर्ज हुआ हैं उसके पश्चात वादीगण ने कोई उजर ऐतराज नहीं पेश किया। वादीगण का सन् 1971 के बाद नियमित काश्त गिरदावरी राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हैं एवं नियमित काश्त होने का रेकर्ड उक्त पत्रावली में रिकॉर्ड पर नहीं है। वाद पत्र में की गई कायमी तनकीयात को वादीगण साबित करने में रिकार्ड से असफल रहे हैं क्योकि मौजा जैरात में खसरा संख्या 21 नया खसरा बनना व कब्जा करना वादी द्वारा साबित नहीं किया गया है। अप्रार्थी को पुराना खसरा संख्या 21 में वर्ष 1971 में भूमि का आवंटन किया गया था जबकि आंवटन के 50 वर्ष पश्चात कमी पेशी का दावा प्रस्तुत करना सरकारी भूमि को हड़पने का प्रयास मात्र हैं। निर्णय में वर्णित भूमि खसरा संख्या 18 जैसलमेर का ग्राम जैरात के पास बेशकीमती सरकारी भूमि हैं। वादीगण ने उक्त भूमि को हड़पने हेतु 04 वर्ष पूर्व धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज करवाया है इसके अलावा कोई सबूत प्रार्थी के पास नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि वादीगण की माता मगीदेवी के नाम उपजिलाधीश के आदेश क्रमांक 2937 दिनांक 22.07.1971 को गांव जैरात के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खसरा संख्या 21 रकबा 75 बीघा भूमि आंवटित की गई थी। वक्त रेगुलर सेटलमेंट अधिकारियों ने रिकॉर्ड में वादीगण की माता की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 12 रकबा 38.10 बीघा, खसरा संख्या 13 रकबा 29.17 बीघा, खसरा संख्या 18/236 रकबा 06.13 बीघा कुल रकबा 75 बीघा दर्ज की गई थी। उपजिलाधीष जैसलमेर के न्यायालय में अलीफ खां पुत्र श्री वईराम खां मुसलमान ने एक दावा इस आषय का पेष किया कि वादीगण की माता के नाम सेटलमेंट में जो खेत खसरा संख्या 12 रकबा 38.12 बीघा दर्ज हुआ हैं जो गलत दर्ज हुआ है। उक्त वाद संख्या 150/1977 निर्णय दिनांक 13.08.1981 के जरिये वादीगण की माता की खसरा संख्या 12 रकबा 38.10 बीघा भूमि में से 22 बीघा अलीफ खां के नाम से गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई परन्तु वादीगण की माता की खातेदारी में कम की गई भूमि रकबा 22 बीघा को दर्ज नहीं किया गया हैं। वादीगण की कम की गई भूमि 22 बीघा को प्राप्त करने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी होने व निर्णय डिक्री की अधीनस्थ न्यायालय से नकले प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देष प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रषासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेष है एवं अपील पेष करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर पारित करने की बजाया गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। ग्राम जैरात के खसरा संख्या 21 का तुलनात्मक रजिस्टर में अंकित नहीं है जिसको वादी ने साबित नहीं किया हैं आंवटन आदेश का खसरा संख्या 21 व वर्तमान खसरा संख्या 18, 12, 18/236, 13 खसरा बंदोबस्त से साबित नहीं है। अपीलाधीन आराजी सिवायचक भूमि है जिस पर अतिक्रमी की हैसियत से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का वादी/रेस्पोडेंट को कोई अधिकार नहीं है। वाद पत्र में की गई कायमी तनकीयात को वादीगण साबित करने में रिकार्ड से असफल रहे हैं क्योकि मौजा जैरात में खसरा संख्या 21 नया खसरा बनना व कब्जा करना वादी द्वारा साबित नहीं किया गया है। अप्रार्थी को पुराना खसरा संख्या 21 में वर्ष 1971 में भूमि का आवंटन किया गया था जबकि आंवटन के 50 वर्ष पश्चात कमी पेशी का दावा प्रस्तुत करना सरकारी भूमि को हड़पने का प्रयास मात्र हैं। निर्णय में वर्णित भूमि खसरा संख्या 18 जैसलमेर का ग्राम जैरात के पास बेषकीमती सरकारी भूमि हैं। वादीगण ने उक्त भूमि को हड़पने हेतु 04 वर्ष पूर्व धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज करवाया है इसके अलावा कोई सबूत प्रार्थी के पास नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैसलमेर के राजस्व वाद संख्या 17/2012 बअनवान सुरेश वगैरह बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.07.2015 को खारिज किया जाता है। तहसीलदार जैसलमेर को आदेशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.07.2015 की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया है तो निर्णय से पूर्व की स्थिति बहाल कर न्यायालय को सूचित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय के प्रति लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर